

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-८)

क्रमांक प. 1(124)ग्रावि/अनु.-८/2017


जयपुर, दिनांक 11/07/2018

बैठक सूचना

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा चयनित 5 जिलों के तहत सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु संचालित गतिविधियों, एवं ग्राम स्वराज अभियान फेज-11 (दिनांक 01 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018) की समीक्षा तथा समयबद्ध लक्ष्य अर्जन की नीति निर्धारण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2018 को प्रातः 11.00 बजे समिति कक्ष-1, सचिवालय में बैठक आहूत की गई है।

उक्त बैठक में निम्न अधिकारीगण नवीनतम प्रगति एवं कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण के साथ आमंत्रित हैं।

1. अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. अति. मुख्य सचिव, उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग।
3. अति. मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
4. अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. अति. मुख्य सचिव, कृषि एवं हार्टिकल्चर विभाग।
6. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
8. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
9. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
10. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रोटोगिकी एवं संचार विभाग।
11. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
12. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
13. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
14. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
15. शासन सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
16. शासन सचिव, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।
17. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
18. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
19. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
20. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
21. जिला प्रभारी सचिव, धौलपुर (प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग)।
22. जिला प्रभारी सचिव, सिरोही (प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग)।
23. जिला प्रभारी सचिव, करौली (शासन सचिव, श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग)।
24. जिला प्रभारी सचिव, जैसलमेर (शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग)।
25. जिला प्रभारी सचिव, बारां (शासन सचिव, गृह विभाग)।
26. जिला कलेक्टर, (बारां, करौली, जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर,)
27. सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि।


(राजेश्वर सिंह)

स्टेट नोडल अधिकारी एवं
प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि

